(ग) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से इस समस्या के समाधान के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक योजना तैयार की हैं;और

(घ) यदि हां,तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा): (क) और (ख) सरकार ने अगस्त,1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत कार्य योजना इस प्रकार हैं:- (i) एक विधायी कार्य योजना,(ii) जहां कहीं संभव हो,बालकों को लाभ प्रदान करने के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ज़ोर देना और (iii) मजदूरी/अर्थ,मजदूरी नियोजन में लगे बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजनाएं।

वर्तमान में आठ राज्योंमें अनुमानत: 16,000 बालकों को शामिल करके बारह राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया एक मुख्य कार्यकलाप रोजगार से हटाये गये बालकों को अनौपचारिक शिक्षा,व्यावसायिक,प्रशिक्षण,अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया करवाने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना हैं। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गतय कामकाजी बालकों के लिए कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को 75% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त,1994 को घोषणा की थी कि जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए 20 लाखों को अगले 4-5 वर्षोमें कार्य से हटाया जाएगा और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में,केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षमता में एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने"बाल श्रम की पहचान करने,उन्हें मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने" के संबंध में एक कार्य योजना अपनाई हैं। इस कार्य को पहले ही सभी राज्य-सरकारों को आवश्यकत कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया हैं। अनुमान हैं कि वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों से 20 लाख बाल श्रम का उन्मूलन करने में 850 करोड रूपये खर्च होंगे। कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए 34.4करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने देश में बाल श्रम की अधिकतम प्रवृत्ति वाले 100 जिले भी पहचाने हैं। यह निर्णय लिया गया हैं कि जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम के उन्मूलन संबंधी परियोजनाएं इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना के अनुसार आरंभ की जायेंगी। नई दिल्ली में 13-14 सितम्बर,1995 को इन 100 जिलाधीशों की एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। संबंधित जिलाधीशों से अनुरोध किया गया हैं कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम आधार पर अपने-अपने जिलों के परियोजना प्रस्ताव तैयार करें।

गोदाम तथा भांडागार सुविधाओं के लिये धन और स्थान की कमी

866. **प्रो.राम बख्श सिंह वर्मा**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकारी खाद्यान्न भांडागारों के पास खाद्यान्नों की अधिक मात्रा में खरीद और उनके भंडारण के लिये क्रमश: धन और स्थान की भारी कमी हैं;

(ख) यदि हां,तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठा रही हैं;और

(ग) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों का इस प्रयोजनार्थ धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) खाद्यान्नों की वसूली के लिए निधियों की कोई कमी नहीं हैं । भारतीय खाद्य निगम और राज्य वसूली एजेंसियां,वसूली प्रचालनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से केश-क्रेडिट" की सुविधाएं ले रही हैं।

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का उच्च-स्तर होने और इससे अपेक्षाकृति कम उठान हाने के कारण कुछ क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता की कमी हैं । तथापि,इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय लिए जा रहे हैं :-

1) प्राइवेट पार्टियों से भण्डारण स्थान किराए पर लेना;

2) निर्माणाधीन गोदामों को पूरा करने के कार्य में तेजी लाना;

3) कैप(कवर और प्लिंथ) क्षमता में वृद्वि करना;

4) वसूली क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए अनाज का समन्वित संचलन;और

5) गेंहू और चावल की खुली बिक्री।

Cases of Malpractices in Distribution of Kerosene

867. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of cases detected of malpractices in distribution of kerosene during the last three years; and

(b) whether it is a fact that kerosene released at subsidized rate is used for unauthorised blending with high speed diesel for automobile consumption?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) The operational responsibility for actual distribution of kerosene through the Fair Price Shops/

Kerosene Oil Depots under the Public Distribution System (PDS) is that of the State Governments and UT Administrations, who have been delegated powers under the Essential Commodities Act, 1955 to check malpractices is distribution and to take action against persons indulging in such malpractices.

(b) Some cases of this nature have been reported by the State Governments/ UT Administrations.

Computer Education under M.P.s' Local Area Development Scheme

868. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:
SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA:
SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that after the emergence of MPs Local Area Development Scheme Government has earmarked huge sum of money for Computer Education in the country;

(b) if so, what are the details of amount earmarked for this scheme;

(c) whether it is also a fact that several Ministries connected with the said programme have short-listed some companies for supplies of computer hardware/software; and

(d) if so, what are the names of such companies and whether tenders were floated to identify these companies and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

(c) and (d) Para(4) of the guidelines issued by the Department of Electronics on implementation of electronics projects, computer configuration etc. and project costs mentioned therein is only suggestive and not mandatory in nature. Further, lists of indigenous manufacturers of computer systems and other equipments given for each project under the MPLADS are illustrative and for the guidance of MPs and others concerned. However, District Collectors etc. may arrange to procure the computer configurating software etc. at reasonable prices from other manufacturers depending upon market competitiveness. The prices may also vary in case different configuration is selected depending upon local conditions. In view of this, the Question of short-listing some companies and inviting tenders to identify these companies does not arise.